न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 197/2018

नैनीदेवी पुत्री लुणाराम पत्नी जवरीलाल सोनार
निवासी दईकडा, तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. कुनाराम पुत्र लुणाराम सोनार
   निवासी मोगडाकलां, तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
2. ईश्वरी देवी पत्नी धन्नाराम ब्राह्मण
   निवासी मोगडाकलां, तहसील लूणी
   जिला जोधपुर
3. ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच

रेस्पो.....

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी (कैम्प कोर्ट लूणावास खारा) दिनांक 09 मई 2018 राजस्व अपील संख्या 07/2017 अनवान नैनीदेवी बनाम कुनाराम आदि

उपस्थित–
श्री सुगनमल परिहार–श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री दिवाकर, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1

नि र्ण य

दिनांक : 12अगस्त, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी (कैम्प कोर्ट लूणावास खारा) द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2017 नैनीदेवी बनाम कुनाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 09 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 जून 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कांकाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 34 रकबा 56 बीघा 16 बिस्वा बाबत ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 776 दिनांक 07 अक्तूबर 1996 को अपास्त किये जाने हेतु अपीलाण्ट नैनीदेवी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी (कैम्प कोर्ट लूणावास खारा) द्वारा दिनांक 09 मई 2018 को खारिज कर दी गयी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की अपील में पेशी दिनांक 13 अगस्त 2018 रिकार्ड तलबी हेतु मुकर्रर थी मगर विचारण न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त हुए बिना एवं अपीलाण्ट अथवा उसके अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रथम अपील खारिज कर दी गयी, जो न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है। वादग्रस्त आराज़ी पूर्व में अपीलाण्ट के पिता लूणारामजी की सहखातेदारी भूमि रही है, जो लूणारामजी के देहान्त के बाद उनके हिस्से की भूमि ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा अकेले कुनाराम के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि कानूनन वादग्रस्त आराजी में लूणारामजी के हिस्से बाबत उनके सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों का हक–हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में कुनाराम के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन विरासतन उसे प्राप्त होने वाले हिस्से की सीमा तक ही मान्य है, मगर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना और लूणारामजी के वारिसान बाबत कोई जांच किये बिना मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि म्युटेशन एक फिस्कल कार्यवाही है जिसके जरिये पक्षकारान के खातेदारी अधिकारों का विनिश्चयन नहीं किया जा सकता है। आलौच्य मामले में प्रश्नगत म्युटेशन अपास्त किये जाने अथवा संशोधित किये जाने की स्थिति में मृतक सहखातेदार लूणाराम के विधिक उत्तराधिकारियों के अलावा अन्य पक्षकारान के हक–हकूक भी प्रभावित होने के महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील में स्पष्ट तौर पर अभिकथन किया गया है कि अपीलाण्ट नैनी देवी के पिता लूणाराम वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार थे और उनके देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी में लूणाराम के हिस्से बाबत उसके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का कानूनन हक–हिस्सा बनता है। मगर लूणाराम के देहान्त के बाद वाग्रस्त आराजी बाबत ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा म्युटेशन संख्या 776 अकेले कुनाराम के नाम स्वीकृत कर दिया गया। मगर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के मृतक लूणाराम के प्रथम श्रेणी वारिसान बाबत वस्तुस्थिति अभिलेख पर लिये बिना एवं इस बाबत कोई विवेचन किये बिना ही अपीलाण्ट की प्रथम अपील खारिज कर दी गयी।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 26 अप्रेल 2018 के अनुसार आगामी पेशी 13 अगस्त 2018 मुकर्रर की गयी, मगर दिनांक 09 मई 2018 को ही पत्रावली कैम्प कोर्ट लूणावास खारा में पेश होना अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जाहिर है कि दिनांक 09 मई 2018 को प्रकरण कैम्प कोर्ट लूणावास खारां में नियत किये जाने बाबत अपीलाण्ट अथवा उसके

अधिवक्ता को कोई सूचना नहीं दी गयी। जिससे अपीलाधीन निर्णय नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09 मई 2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं विधिक प्रकिया की पालना करते हुए उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में पुनः न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर